न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 60/2019 **दायरा दिनांक : 15.04.2019**

उनवान

भोली बाई पुत्री मांग्या, जाति मीना, निवासी श्यामपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– चन्द्रकला उर्फ चन्द्रेश पुत्री कान्हीं, जाति मीणा, निवासी श्यामपुरा, हाल निवासी पीपल्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– संतोष पुत्री कान्हा, जाति मीणा, निवासी श्यामपुरा हाल निवासी खुजरनपाकलां, तहसील अन्ता जिला बारां

3– बरफा बाई पत्नी श्री बाबू लाल, जाति मीणा, निवासी श्यामपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– रामदयाल पुत्र धन्ना लाल जाति मीणा, निवासी श्यामपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री वाई. एस. भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.04.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल के प्रकरण संख्या – 7/2018 निर्णय दिनांक 21.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पोडेंट कम 3 ता 4 व 1 के विरूद्ध सम्मन की तामील न होते हुए भी एक तरफा आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गौर नहीं फरमाया कि ग्राम श्यामपुरा, तहसील मांगरोल की खाता संख्या 80 में खसरा नम्बर 423 रकबा 2.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 427 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 2.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.65 हेक्टर कुल 6 किता कुल रकबा 6.59 हेक्टर को रहन बेचान ना करें और न ही किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द करें, के द्वारा अपीलांट को पाबन्द कर कानूनी भूल की है । जबकि उक्त समस्त आराजी क खातेदार अपीलांट ही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2018 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.08.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हम वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे विरूद्ध में टी. आई. जारी कर दी जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय में हमने प्रोपर तामील नहीं हुई । अधीनस्थ न्यायालय में हमें सुनवाई, साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(नरेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 18.04.2018 को पत्रावली वास्ते इंतजार सम्मन दिनांक 15.06.2018 को पेश होना अंकित किया गया है । दिनांक 15.06.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई एक तरफा कार्यवाही किये बिना ही पाबन्द करने का आदेश दिया गया एवं पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21.06.2018 को पेश होने का अंकन किया गया है । इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण जिसमें अपीलांट भी शामिल है, को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.07.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा